न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या – 45/2025
जीसीएमएस सख्या – 2025/234

अपीलान्टस :–

1. श्रीमती मंजू देवी पत्नी प्रकाश, पुत्री स्व. छोगाराम निवासी ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर।
2. श्रीमती कबू देवी पत्नी बुधाराम पुत्री स्व. छोगाराम निवासी मेघवालो की ढ़ाणी, बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर।
3. श्रीमती कन्या पत्नी सोहनलाल पुत्री स्व. छोगाराम जी, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, झंवर तहसील झंवर जिला जोधपुर।
4. श्रीमती सन्तोष पत्नी श्री प्रेमाराम पुत्री स्व. श्री छोगाराम निवासी मेघवालो की ढ़ाणी, बासनी द्वितीय फेस, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्सः–

1. राजुराम पुत्र स्व. छोगाराम जी
2. नारायणराम पुत्र स्व. छोगाराम जी
3. सुगणा पत्नी स्व. छोगाराम जी,
4. उकाराम पुत्र स्व. छोगाराम जी के कायम मुकाम :–
   4/1 कबूदेवी पत्नी उकाराम
   4/2 जितेन्द्र पुत्र स्व. उकाराम
   4/3 मनीष पुत्र स्व. उकाराम
5. तहसीलदार जोधपुर।
6. पटवारी, पटवार मण्डल पाल, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.05.1992 नामान्तरकरण संख्या 1089 ग्राम पाल जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त करवाने हेतु।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री डी.आर. मेघवाल, श्री अनिल राठी (अपीलान्ट्स की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से)
3. शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4/1 से 4/3 के अधिवक्ता अनुपस्थित।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय **दिनांक : 28.07.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम पाल के नामान्तरकरण संख्या 1089 पर पारित आदेश दिनांक 19.05.1992 को अपास्त करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, जोधपुर में दिनांक 18.10.2024 को पेश हुई है।
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री अमित माहेश्वरी एडवोकेट व गोपाल सिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। मूल नामान्तरकरण संख्या 1089 दिनांक 19.05.1992 ग्राम पाल का, वर्तमान नई तहसील कुड़ी भगतासनी से प्राप्त हुआ।
3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अपील मीमों अनुसार इस प्रकार है कि ग्राम पाल का खसरा संख्या 353 रकबा 35–04 बीघा, खसरा नम्बर 348/1 रकबा 11–10 बीघा, खसरा नम्बर 144 रकबा 39 बीघा की कृषि भूमि कानाराम व छोगाराम पुत्रान गोमाराम भांभी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार, छोगाराम का देहान्त होने पर ग्राम पाल के नामान्तरकरण संख्या 1089 दिनांक 19.05.1992 से छोगाराम के वारिसान के रूप में पुत्र उकाराम, नारायणराम, राजुराम व पत्नी सुगना के नाम आराजी दर्ज की गई, तथा अपीलांटस जो छोगाराम के जायन्दा पुत्रियां है, को जानबुझकर रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है, जबकि कानूनन पुत्रियों का भी पुत्रों के बराबर हक है जिसकी जानकारी दिनांक 14.10.2024 को प्रमाणित प्रति लेने पर अपीलांटस को हुई। नामान्तरकरण पर पारित आदेश दिनांक 19.05.1992 एकतरफा अपीलांटस को सुने बिना ही पारित किया गया है तथा मौके की स्थिति की जांच भी नहीं की गई है। अतः पारित आदेश विधि में शून्य है तथा ऐसे विधि विरूद्ध आदेश को अपास्त करने हेतु कभी भी चुनौती दी जा सकती है तथा प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर किया जाना चाहिए। दिनांक 14.10.2024 को नामान्तरकरण की जानकारी तब हुई जब रेस्पोडेन्टस को अन्य लोगो के साथ वादग्रस्त भूमि का बेचान करने बाबत सुना। अतः अपीलांटस को वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही प्राप्त हुए अधिकारों को दिलाया जावे तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज किया जावे।

अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल राठी, श्री डी.आर. मेघवाल ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटस, छोगाराम की जायन्दा पुत्रियां है। छोगाराम के सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं करके सिर्फ पुत्रों के नाम दर्ज किया है जो गलत व विधि प्रावधानों के विरूद्व होने से एव इनिशियों वॉइड आदेश है जिसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है। यह अपील दिनांक 18.10.2024 को पेश की है तथा प्रत्यर्थी 1 व 3 ने दिनांक 13.11.2024 को बेचान दस्तावेजों से हस्तानान्तरण किये है जो सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधान (Lis-pendens) के खिलाफ है। जन्म से ही सम्पति में अधिकार प्राप्त होना एक स्थायी अधिकार है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थीगण द्वारा कितने भी लोगों को टुकड़े करके भूमि हस्तान्तरित करदें, सभी को आवश्यक पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। भूमि को जोधपुर विकास प्राधिकरण में समर्पित करने मात्र से ही अपीलांटस के अधिकार व हक समाप्त नहीं हो सकते। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार को छोगाराम के समस्त कानूनी वारिसान की जांच की जाकर जरिए नामान्तरकरण रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

अपीलांट्स के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि खसरा नम्बर 353 में छोगाराम का हिस्सा 17 बीघा है तथा 353/3 में 14 बीघा है। बेचानकर्ता छोगाराम के सहहिस्सेदार है इससे अपीलांटस के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छोगाराम के हिस्से की भूमि आज भी कृषि भूमि ही है। ऐसी स्थिति में अन्य सहखातेदारों को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना जरूरी नहीं है।

6. अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत उक्त बहस का विरोध करते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित ने कथन किया कि यह अपील खरीददारों को तंग करने की नियत से 32 वर्ष बाद पेश की गई है जो म्याद बाहर है। बेचान दस्तावेज निष्पादित करते समय हस्तगत अपील लंबित होने की जानकारी प्रत्यर्थीगण को नहीं थी। अतः Lis-pendens का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। नामान्तरकरण से अधिकार तय नहीं होते है। यह एक समरी प्रकृति की मात्र फिस्कल प्रोसिडिंग है। छोगाराम के हिस्से की कुछ भूमि जेडीए के नाम है तो कुछ भूमि खातेदारों के नाम से है, जिन्हे इस अपील में आवश्यक पक्षकार के रूप

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

में संयोजित नहीं किया है तथा अपील असंयोजन व कुसंयोजन से ग्रसित हैं तथा मेरिट पर भी अपील सुनने लायक नहीं है तथा म्याद के बिन्दु पर भी म्याद बाहर अपील पेश होने से खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज की जावे।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित ने बहस करते हुए कथन कि उनकी ओर से लिखित बहस पेश कर दी है उसे ही बहस माना जावे।
8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर अवलोकन किया तथा दौराने बहस विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया तथा लिखित बहस में अंकित कथनों का अवलोकन किया।
9. सर्वप्रथम अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 का निस्तारण किया जाना विधिसम्मत है।

a) अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा 2 में अंकित किया है कि छोगाराम के फौत होने पर उनके वारिसान का हिस्सा कानून से तय होता है मगर तहसीलदार व पटवारी ने आपसी मिलीभगत व सांठगाठ करके तथाकथित अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करा दिया, जिसकी जानकारी हाल ही में दिनांक 14.10.2024 को प्रमाणित प्रति लेने पर हुई, जो जानकारी की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है।

b) प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1089 दिनांक 19.05.1992 को पारित किया गया जिसकी अपील 32 वर्ष बाद अत्यधिक देरी से पेश की है दिनांक 14.10.2024 को अपीलार्थीगण को इसकी जानकारी किसके माध्यम से कैसे हुई इसका अंकन प्रार्थना पत्र में नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में अपीलांटस का कथन मानने योग्य नहीं है। बिना जानकारी के दिनांक 14.10.2024 को नामान्तरकरण की नकले कैसे प्राप्त की। अतः अपीलांटस स्वयं के कथनानुसार नामान्तरकरण की जानकारी उन्हे पूर्व में भली भांति थी तथा देरी को माफ नहीं किया जा सकता। दिनांक 14.10.2024 को ही जानकारी होने का कथन सरासर गलत व झूठ है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत कथन मानने योग्य नहीं है तथा देरी को संतोषप्रद ढंग से व स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया है। अपने तर्को के समर्थन में 2019(1)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

SCC 166 (SC) मोहम्मद सईद व अन्य बनाम रजिया खानम (D) जरिये वारिसान व अन्य तथा 2014(11)SCC 351(SC)– ब्रिजेश कुमार व अन्य बनाम स्टेट आफ हरियाणा एवं अन्य में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

c) हमने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, अपील मीमो में वर्णित अभिकथनों का अध्ययन कर उनका अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत मौखिक व लिखित कथनों/तर्को पर मनन किया। अपीलांटस ने अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.10.2024 को पटवारी से नकल प्राप्त करने से होना जाहिर किया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1089 की जानकारी अपीलांट्स को अमुख तिथि को हो गई थी। मात्र सामान्य कथन पर्याप्त नहीं है। अपीलांटस अनुसूचित जाति की ग्रामीण परिवेश की महिलाएं है तथा आक्षेपित सम्पति में जरिए उत्तराधिकार जन्म से ही संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति में अपना हिस्सा मांग रही है तथा अपीलांटस को आक्षेपित नामान्तरकरण पारित करते समय किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे अपीलांटस के प्राकृतिक सुनवाई के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराधिकार का मामला होने से अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करना यह न्यायालय न्यायहित में उचित मानता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करना न्यायहित में उचित है ताकि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक रूप से वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े।

10. (a) अपीलांटस द्वारा अपील के साथ नामान्तरकरण संख्या 1089 ग्राम पाल की प्रमाणित प्रति पेश की है, जिसके अनुसार खसरा संख्या 353 रकबा 35–04 बीघा, खसरा नम्बर 348/1 रकबा 11–10 बीघा, खसरा नम्बर 144 रकबा 39 बीघा कुल रकबा 85–14 बीघा ढगलाराम, सोहनराम, भंवराराम, गिरधारीराम पि. कानाराम, छोगाराम पिता गोमाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है। कॉलम संख्या 14 में अंकित नोट अनुसार यह नामान्तरकरण छोगाराम के फौत होने पर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उसके उत्तराधिकारियों का अंकन कॉलम संख्या 9 में उकाराम, नारायणराम, राजुराम पिता छोगाराम तथा सुगना बेवा छोगाराम के पक्ष में समस्या समाधान शिविर ग्राम पाल में दिनांक 20.05.1992 को तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया है।

(b) ग्राम पाल की वर्तमान जमाबंदी अनुसार उक्त तीनों खसरा संख्या 353, 348/1 व 144 से संबंधित इन्द्राज इस प्रकार है:–

(अ)(i) खसरा संख्या 353 रकबा 1.2950 हैक्टेयर
खसरा संख्या 353/1 रकबा 0.5504 हैक्टेयर
खसरा संख्या 353/6 रकबा 0.4209 हैक्टेयर
खसरा संख्या 797/353 रकबा 0.3128 हैक्टेयर

जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि दर्ज है। (खाता संख्या 810)

(ii)खसरा संख्या 353/2 रकबा 0.4099 हैक्टेयर, खाता संख्या 102 में गिरधारीराम पुत्र कानाराम के नाम दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 4102, 4287, 4556 का नोट लगा हुआ है।

(iii) खसरा संख्या 353/3 रकबा 2.2015 हैक्टेयर खाता संख्या 301 में अर्जुन पुत्र भंवरलाल 1/12 हिस्सा, ताराचन्द पुत्र मानाराम 1/12 हिस्सा, नारायणराम पुत्र छोगाराम 1/4 हिस्सा, सुरेश पुत्र शिवलाल 1/12 हिस्सा, हरिराम पुत्र बींजाराम 1/2 हिस्सा, खातेदारी में दर्ज है। हरिराम पुत्र बींजाराम 1/4 हिस्सा दिनांक 13.11.2024 को राजुराम व सुगना देवी से क्रय की है।

(iv) खसरा नम्बर 353/4 रकबा 0.4104 हैक्टेयर खाता संख्या 310 में दोलाराम पुत्र भंवराराम 1/4 हिस्सा, नेमाराम पुत्र भंवराराम 1/4, सुखाराम पुत्र भंवराराम 1/4, हपली पत्नी भंवराराम 1/4 हिस्सा, खातेदारी में दर्ज है।

(v) खसरा संख्या 796/353 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, सोहनराम पुत्र कानाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है।

(ब) खसरा संख्या 348 रकबा 3.2294 हैक्टेयर खाता संख्या 810 अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि दर्ज है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(स) खसरा संख्या 144 रकबा 6.3131 हैक्टेयर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि दर्ज है तथा यह खसरा नवसृजित ग्राम मोतीबा नगर का भाग बन गया है।

(c) राजस्व रेकर्ड की वर्तमान उक्तानुसार स्थिति से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 353 के कई टुकड़े हो चुके है तथा खसरा संख्या 353, 353/1, 353/6, 797/353 वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम अकृषि प्रयोजनार्थ दर्ज है। इसी प्रकार खसरा संख्या 353/3 में अर्जुन, ताराचन्द, सुरेश का नाम दर्ज था। इसी प्रकार खसरा संख्या 353/4 दोलाराम, नेमाराम, सुखाराम पि. भंवराराम, व हपली पत्नी भंवराराम के नाम दर्ज है। तथा मूल खाते के खातादारान ने समय समय पर विभिन्न खसरा नम्बरों की भूमियां हस्तान्तरित कर दी। जबकि इनका आपस में विधिवत् बंटवाड़ा होना नहीं पाया जाता है परन्तु अपीलांटस ने अपील पेश करने वाली तारीख दिनांक 18.10.2024 को जमाबंदी में दर्ज सभी सहखातेदारान को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है चूंकि नामान्तरकरण स्वीकृत करने की तारीख 20.05.1992 को ढ़गलाराम, सोहनराम, भंवराराम, गिरधारीराम, उकाराम नारायणराम, राजुराम व सुगना देवी खसरा संख्या 353, 348/1 व 144 की आराजी के सहखातेदार अभिलेख में दर्ज थे तथा अपीलांट्स इस आराजी में दिनांक 20.05.1992 से ही अपना हित उत्पन्न होने के आधार पर ही यह अपील पेश की है। अतः अविभाजित आराजी में अपील प्रस्तुत करने की तिथि तक जितने भी हस्तान्तरण/संव्यवहार हुए है, उनसे प्रभावित सभी व्यक्ति प्रभावित व्यक्ति है तथा उन्हे इस अपील में आवश्यक पक्षकारों के रूप में संयोजित करना आवश्यक था परन्तु अपीलांटस ने ऐसे प्रभावित सभी व्यक्तिओं को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। अतः इन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना एकतरफा कोई आदेश पारित करना विधि प्रावधानों के विपरीत है।

(d) इसी प्रकार जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज खसरा संख्या 353, 353/1, 353/6, 797/353 तथा खसरा संख्या 348 में अकृषि प्रयोजनार्थ दर्ज है तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त भूमि किन किन

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तान्तरित की है, उसकी जानकारी इस न्यायालय के सम्मुख उन प्रभावितों को पक्षकार बनाकर अपील पेश नहीं की है। जिसके अभाव में यह न्यायालय उन प्रभावित व्यक्तिओं के हितो का संरक्षण करने की दृष्टि से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं समझता।

(e) इसी प्रकार अपील में हस्तान्तरण से शेष रहे खसरों की कुछ भूमि बाबत अपीलांटस के पक्ष में आदेश पारित नहीं किया जा सकता तथा इसी प्रकार प्रकरण का प्रतिप्रेषण भी मूल नामान्तरकरण संख्या 1089 को अपास्त किए बिना नहीं किया जा सकता। ऐसी कलिष्ट स्थिति में अपीलांट्स के पास नियमित वाद दायर करके अपने अधिकारों का न्याय निर्णय करवाने का एक सुदृढ़ एवं कानूनी विकल्प मौजूद है जिसका उपयोग करने हेतु अपीलांट्स स्वतंत्र है।

(f) प्रत्यर्थी 1 व 3 की ओर से लिखित बहस में उक्त प्रकार के आक्षेप उठाए गए है, जिसकी प्रति अपीलांटस को दिनांक 01.07.2025 को उपलब्ध कराई गई परन्तु अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित नोट में अंकित अभिकथनों का सतोंषप्रद तरीके से खण्डन नहीं किया है। हम अपीलांटस के इस तर्क से सहमत नहीं है कि ऐसे हस्तान्तरणों से अपीलांटस के अधिकार प्रभावित नहीं होते क्योंकि नामान्तरकरण स्वीकृति के पश्चात अभिलिखित सहखातेदारान ने विभिन्न रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेजो से विभिन्न खसरों में से भूमि हस्तानान्तरित कर दी तथा क्रेताओं के पक्ष मे हित सृजित कर दिए। विधि अनुसार ऐसे हितबद्व व्यक्तिओं को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना एकतरफा आदेश उनके विरूद्व पारित करना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार गत 32 वर्षो की लंबित अवधि में हस्तान्तरणों के कारण प्रकरण में कई लोगो के नए हित सृजित हो गए है तथा अपीलांट्स का अविभाजित हित भी हस्तान्तरित हो चुका है जिसका निर्धारण नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में निर्धारित नहीं किया जा सकता। नामान्तरकरण की कार्यवाही मात्र एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। अतः अपीलांटस को अपने हितो/हकों का निर्धारण नियमित वाद के माध्यम से ही संभव है जिसमें रजिस्टर्ड दस्तावेजों को

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बेअसर/शून्य घोषित किए जा सकेगें। उपरोक्तानुसार विवेचन एवं विश्लेषानुसार अपीलांटस की अपील सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार योग्य है।

आदेश

11. फलस्वरूप यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम पाल के नामान्तरकरण संख्या 1089 पर पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांटस सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिए अपने अधिकारों का निर्धारण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
12. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार, कुडी भगतासनी को लौटाया जावे।
13. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
14. पत्रावली बाद तामिल एवं तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उक्त आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 45/2025 (2025/234)

अपीलान्टस :–

1. श्रीमती मंजू देवी व अन्य (01 से 04 तक)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्सः–

1. राजुराम व अन्य (01 से 06 तक)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. के तहत

निर्णय दिनांक : 28.07.2025

1. अपीलांट मंजू की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2025 को अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी.,1908 पेश कर कथन किये है कि अपीलांटस की ओर से एक अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत पेश की गई है जो आज भी लंबित/विचाराधीन है तथा अपील अभी प्रारंभिक स्तर पर है। अनवान अपील में टंकण/टाईपिंग त्रुटि के कारण अपीलांट मंजू देवी की एक बहन अजकी उर्फ अज्या पत्नी लिखमाराम पुत्री स्वर्गीय छोगाराम का नाम रह गया था, इस नाम को अपीलांट के नाम से पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। नाम जोड़ने से अपील में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार नाम जोड़ने से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के बीच हक हिस्से के संबंध में भी संशोधित करना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अजकी को अपीलांट संख्या 05 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जावे तथा अपील में भी हक हिस्से को संशोधित किया जावे। प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता के हस्ताक्षरों से पेश किया गया है तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलांट मंजू देवी ने शपथ पत्र पेश किया है।
2. उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई।
3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।
4. अपीलांट श्रीमती मंजू देवी के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.आर. मेघवाल ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि अजकी, अपीलांट मंजू देवी की बहन है। अतः वह आवश्यक पक्षकार है तथा उसका पिता की सम्पति में हिस्सा है, वह हितबद्व पक्षकार है, अतः उसे पक्षकार अपीलांट संख्या 5 के रूप में संयोजित किया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जावे तथा अपील मीमों में प्रत्येक का हिस्सा 1/9 के रूप में होना संशोधित किया जावे।

5. अपीलांट के अधिवक्ता की उक्तानुसार बहस का प्रत्युतर देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित ने कथन करते हुए तर्क दिया कि आदेश 6 नियम 17 के प्रार्थना पत्र में अभिवचनों में संशोधन करने का प्रावधान है। आवश्यक पक्षकार बनने के लिए प्रभावित पक्षकार स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी प्रस्तुत करना चाहिए। मंजू देवी अपनी बहन को पक्षकार बनाने का न तो प्रार्थना पत्र दे सकती है तथा न ही शपथ पत्र पेश कर सकती है। अज्या की ओर से न तो आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया तथा न ही उसके वकालतनामा पर हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थीगण 1 व 3 की ओर से लिखित बहस पेश करने के पश्चात आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस स्तर पर अपील में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीगण की उक्त बहस का प्रत्युतर देते हुए तर्क दिया कि आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रार्थना पत्र गलत पेश हुआ है परन्तु अजकी आवश्यक पक्षकार है, उसे पक्षकार बनाये जावे।

7. हमने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों तथा अपील मीमों का अध्ययन किया तथा उन पर मनन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को पर मनन किया तथा संबंधित विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। यह प्रार्थना पत्र अपीलांट मंजू देवी की ओर से अपनी बहन अजकी को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित करने हेतु पेश किया हैं। अजकी की ओर से आवश्यक पक्षकार बनाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 के तहत पेश नहीं किया गया है तथा न ही अजकी की ओर से अपील मीमों व वकालतनामा पर हस्ताक्षर/अगुंठा निशान किया गया है। एक अपीलांट को यह अधिकार नहीं है कि वह जबरदस्ती किसी को अपने संग अपीलांट के रूप में संयोजित कर सके। यदि विवाद के निस्तारण के लिए कोई व्यथित व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है, तो अपीलांट उसे प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित कर सकता है या करा सकता है। इसे टंकण की गलती नहीं माना जा सकता है।

8. इस न्यायालय की राय में भी, विवाद के न्याय निर्णयन के लिए अजकी को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित करना आवश्यक नहीं है। अपीलांटस, अपने पिता छोगाराम की सम्पति में से अपना हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

के तहत निर्धारित करवाकर प्राप्त करना चाहती है, वह हिस्सा विधि अनुसार छोगाराम के सभी वारिसान की जांच के पश्चात ही तय होगा। अतः अपील मीमों में हिस्से को संशोधित करने या नहीं करने से कोई विपरीत प्रभाव निर्णय पर नहीं पड़ेगा। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 का सारहीन, बलहीन व विधि प्रावधानों के विपरीत होने से अस्वीकार योग्य है।

आदेश

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट मंजू देवी द्वारा अपनी बहन अजकी को, अजकी की बिना सहमति के उसे अपीलांट के रूप में संयोजित करने का तथा अपील संशोधित करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उक्त आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर